11-12-19

वकील वादीनी एवं पैरोकाराज उपस्थित। वकील वादीनी ने निवेदन किया कि मेरे सभी दस्तावेजात में मेरा नाम धूड़ीदेवी पत्नी पेमाराम अंकित है जबकि वाके रोही पांचू दक्षिण के खसरा नम्बर 5598 रकबा 9.06 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम धापूदेवी पत्नी पेमाराम नाम अंकित है जिसे दुरूस्त फरमाया जावे। पैरोकार राज ने निवेदन किया कि इस प्रकरण में राज्य हित प्रभावित नहीं हो रहा है।

11/12

उपखण्ड अधिकारी
नोखा (बीकानेर)

P.T.O.

Scanned with CamScanner

| ...त्र हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज |
|---|---|
| | हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस के कथानो पर मनन किया, जिससे पाया गया कि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाना न्यायहित में सही है। अतः नाम शुद्ध किये जाने के हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत आदेश दिये जाते है कि रोही पांचू दक्षिण के खसरा नम्बर 5598 रकबा 9.06 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीनी का नाम धापूदेवी पत्नी पेमाराम के स्थान पर धुड़ीदेवी पत्नी पेमाराम करने के आदेश दिये जाते है। शेष प्रविष्ठिया यथावत रहेगी। आदेश की प्रति तहसीलदार नोखा को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। बसरे इजलाश सुनाया गया।<br><br>11/12<br>(रमेश देव)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोखा<br>उपखण्ड अधिकारी<br>नोखा (बीकानेर) |

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Dev
Date: 2020.01.23 17:40:54 IST
Reason: SelfAttested
Location: